

28 जून 2018 को  
सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल – 576 104  
में संपन्न होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की  
वार्षिक आम बैठक की सूचना

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF THE BANK SCHEDULED  
TO BE HELD ON 28<sup>TH</sup> JUNE 2018,  
AT SYNDICATEBANK GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM  
MANIPAL – 576 104



प्रधान कार्यालय: मणिपाल – 576 104

Head Office : Manipal – 576 104

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:  
मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड  
यूनिट : सिंडिकेटबैंक  
कार्वी सेलेनियम टावर बी  
प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली  
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032  
दूरभाष: 040 67162222 या 040 67161516 (सीधा)  
फैक्स सं.: 040 23001153  
टोल फ्री सं. 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.  
Unit: Syndicate Bank  
Karvy Selenium Tower B,  
Plot No. 31 - 32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda,  
Hyderabad 500 032  
Phone No. 040 67162222 or  
040 67161516 (D)  
Fax No. 040 23001153  
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव  
निवेशक संपर्क केंद्र  
सिंडिकेट बैंक – कारपोरेट कार्यालय,  
2 क्रॉस, गांधीनगर  
बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)  
दूरभाष: 080 - 22283030, फैक्स - 080 - 22283030  
ई-मेल: [inrc@syndicatebank.co.in](mailto:inrc@syndicatebank.co.in) (सामान्य)  
निवेशक शिकायत: [syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in)

The Company Secretary  
Investor Relations Centre  
SyndicateBank - Corporate Office  
2nd Cross, Gandhinagar  
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)  
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030  
E-mail: [inrc@syndicatebank.co.in](mailto:inrc@syndicatebank.co.in) (General)  
Investor Grievances: [syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in)



प्रधान कार्यालय: मणिपाल – 576 104

Head Office : Manipal – 576 104

## वार्षिक आम बैठक/ ANNUAL GENERAL MEETING

28.06.2018 मणिपाल/ MANIPAL

### महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का कैलेंडर/ IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

वार्षिक आम बैठक के लिए ई-वोटिंग की अंतिम तिथि E-Voting Cut-off date for Annual General Meeting.	गुरुवार/Thursday, 21.06.2018
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु प्रॉक्सी फॉर्मों और संकल्पों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख Last date of receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives	शुक्रवार/Friday, 22.06.2018
बहियों का समापन Book Closure	शुक्रवार/Friday, 22.06.2018 से/to गुरुवार/Thursday, 28.06.2018 तक (दोनों दिवस सम्मिलित /Both days inclusive)
ई-मतदान के शुरू होने एवं बंद होने की तारीख Opening and Closing Date for e-voting	सोमवार/Monday, 25.06.2018 प्रातः 9.00 a.m. बजे से/ to बुधवार/Wednesday, 27.06.2018 शाम 5.00 p.m. बजे तक
वार्षिक आम बैठक की तारीख और समय Date and time of Annual General Meeting	गुरुवार/Thursday, 28.06.2018 प्रातः 10.00 बजे/a.m.

## विषय सूची / Contents

सूचना	4
Notice	5
नोट	10
Notes	10
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र	19
Attendance Slip / Entry Pass	20
प्रॉक्सी फार्म	21
Proxy Form	22



## सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56 के अनुसार सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक दि. 28.06.2018 को प्रातः 10.00 बजे से सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल 576 104, में निम्नलिखित कारोबार का संब्यवहार करने के लिए होगी:

1. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए ।
2. विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, निम्नलिखित संकल्प(पों) को विशेष संकल्प (पों) के तौर पर पारित करने के लिए :

“संकल्प किया गया कि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (बैंकिंग अधिनियम), सिंडिकेट बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 (बैंक विनियम), विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (“फेमा”) को लागू प्रावधान, भारतीय सुरक्षा एवं विनियम बोर्ड (पंजी एवं निर्गम समिति की आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (“आई सी डी आर विनियम”), विदेशी विनियम प्रबंधन, (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी) विनियमावली 2017, भारत सरकार, जिसे लागू नियमों, विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों के द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित और/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बशर्ते विधि, नियम और विनियम के अध्यधीन (इसमें किए गए संशोधन या वर्तमान समय में पुनः लागू अधिनियम), बैंक द्वारा उन स्टॉक विनियमों में सूचीयन करार जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सेबी और/या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति जो लागू हों और अपेक्षित, भारत और भारत से बाहर अन्य संबद्ध प्राधिकरणों से अनुमोदित, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति के लिए लाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत होना (इसके बाद इसे “बोर्ड” कहा जाएगा, इस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल है) बैंक की सहमति है और एतद्द्वारा बोर्ड को दी जाती है कि वह आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वह अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से बैंक के ईक्विटी शेयरों का सृजन, ऑफर, निर्गम, आबंटन आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में वर्णित किए गए अनुसार संख्या में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को करे, भले ही, वे बैंक के शेयरधारक हों या न हों/मौजूदा शेयरधारकों के लिए आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय IV के अंतर्गत अधिकार निर्गम/अनुगामी सार्वजनिक निर्गम या अधिमानी आबंटन या भारत सरकार/भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम, जैसा कि बोर्ड द्वारा एक या अधिक अंश में स्व-विशेषाधिकार से निर्णय लिया जाए, बोर्ड ने लागू विधि एवं विनियमों के अनुसार ₹5000/- करोड़ (₹ पाँच हजार करोड़ मात्र) से अनधिक कुल रकम अनुमत की है, जो ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर प्रीमियम सहित और ऐसे ढंग से और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिसे बोर्ड अपने स्व-विवेकाधिकार से निर्धारित करे जिसमें यह विवेकाधिकार भी शामिल है, निवेशकों की उन श्रेणियों का निर्धारण जिन्हें ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाए, ऑफर के समय बाजार की स्थितियों और अन्य संबद्ध तत्वों को ध्यान में रखते हुए ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय अन्य श्रेणियों के निवेशकों का बहिष्करण और जहाँ



## NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 that an ANNUAL GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of SYNDICATE BANK will be held on Thursday, 28.06.2018 at 10.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 (Karnataka State) to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31<sup>st</sup> March, 2018 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“the Act”), Banking Regulations Act, 1949 (Banking Act), SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Bank’s Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (“FEMA”), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India (“GOI”), Reserve Bank of India (“RBI”), Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of SEBI and/or Central Government as applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities, within or outside India, and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Bank be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not/Rights Issue under Chapter IV of ICDR Regulations to the existing shareholders/Follow on Public Issue or preferential allotment or any other mode approved by GOI/RBI, as may be decided by the Board in one or more tranches in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹5000 Crore (Rupees Five Thousand Crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever

कहीं आवश्यक हो वहाँ अग्रणी प्रबंधक (कों) एवं/ या हामीदार (रों) एवं/ या अन्य सलहाकार (रों) से परामर्श करके बोर्ड अपने अनन्य विवेकाधिकार से उचित या उपयुक्त निर्णय लेगा।”

“आगे संकल्प किया गया कि जारी किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के बराबर होंगे जिनमें लाभांश शामिल हैं”

“आगे संकल्प किया गया कि, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में, आई.सी.डी.आर विनियमावली के खंड VIII के अनुसरण में:

ए) आई.सी.डी.आर. विनियमावली के खंड VIII के तहत प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्ण-प्रदान होनी चाहिए तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए।

बी) आई.सी.डी.आर विनियमावली के विनियमन 85 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम कीमत से अधिकतम पाँच प्रतिशत की छूट पर शेयर ऑफर कर सकता है जैसा कि विनियमावली में निर्धारित किया गया है।

सी) प्रतिभूतियों कि न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि आई.सी.डी.आर विनियमावली के अनुसार मानी जाएगी।

“आगे संकल्प किया गया कि, उक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु बोर्ड प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान करने, उसके अनुमोदन से जुड़े सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य करे जो इसमें शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं है, साथ ही, अंतिम ऑफर प्रलेख(खों) जो निर्गम के फार्म और ढंग को नियत करें, इसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें इक्विटी शेयर निर्गमित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, अपने अनन्य विवेकाधिकार से निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम मूल्य का निर्धारण और शेयर के निर्गम, ऑफर एवं आबंटन से उपजे सवाल, प्रक्रियाओं, कठिनाइयों से संबंधित प्रश्नों का अपने विवेकाधिकार से समाधान करे और इसके लिए सदस्यों की सहमति या अनुमति आवश्यक नहीं होगी, दूसरे शब्दों में; यह माना जाएगा कि संकल्प के प्राधिकार के संबंध में सदस्यों की अनुमति है।”

“आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु अग्रणी प्रबंधकों, विधि सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, सलाहकारों, जो भी आवश्यक हों, उन्हें शामिल करें/नियुक्त करें, जो ऐसे इक्विटी शेयरों के ऑफर के कार्य से जुड़े हों, संबद्ध हों और उन्हें कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि के रूप में पारिश्रमिक दें और ऐसी एजेंसियों के साथ करार, ज्ञापन, प्रलेखन आदि की व्यवस्था करें, निष्पादन कराएं और निर्गमित इक्विटी शेयरों की उन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग कराएं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निदेशकों की समिति या अपने सभी अधिकारों या किसी अधिकार को प्रत्यायुक्त करें या निदेशकों की समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यपालक निदेशक/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपे जो उक्त संविदा को प्रभावी बना सकें और उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्यों, कर्तव्यों, विषयों, मामलों को निष्पादित करे और कोई भी जरूरी परिवर्तन(नों) या संशोधन(नों) को करें जिसे उचित समझता है और ऐसा निर्देशन दें जो इक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन से उठने वाले प्रश्नों और कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक हैं। साथ ही, ये शामिल हैं पर सीमित नहीं हैं:

- i. ड्राफ्ट/अंतिम ऑफर प्रलेख का अनुमोदन एवं आवश्यकतानुसार उसे किसी प्राधिकरण या व्यक्तियों को फाइल करना;
- ii. निर्गम मूल्य, आबंटन किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और इक्विटी शेयर के आबंटन का अनुमोदन;
- iii. इक्विटी शेयर के निर्गम के संबंध में जरूरी सुपुर्दगी और सभी आवश्यक या वांछनीय संविदाओं, करारों और अन्य प्रलेखों, विलेखों और लिखतों का निष्पादन;
- iv. ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के लिए आवश्यक हों;
- v. ऐसे सभी कार्य, कर्तव्य, विषय और मामलों को निष्पादित करना और ऐसे अन्य सभी प्रलेखों का निपटान करना और अपने अनन्य विवेकाधिकार से संव्यवहार के लिए आवश्यक या अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना;

necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares issued shall rank *pari passu* with the existing shares of the Bank including dividend.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- b) the Bank is pursuant to provision to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors to delegate all or any of its powers to Committee of Directors / Chairman and Managing Director/Executive Directors / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolution and is authorized to take such steps and to do all such acts, deed, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- i. Approving the draft/final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
- ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotments of Equity Shares;
- iii. Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- iv. Opening such bank accounts as may be required for the offering;
- v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;

- vi. समुचित प्राधिकारणों को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवश्यक आवेदनों को तैयार करना और इस संबंध में आवश्यक विनियामक फाइलिंग करना;
- vii. उस स्टॉक इक्सचेंज(जों) में बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करना जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  
कृते सिंडिकेट बैंक

**प्रम ओ रेगो**

(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी


स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 06.06.2018



- vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed.

**By order of the Board of Directors  
For SYNDICATE BANK**



**(Melwyn Rego)**

Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Bengaluru  
Date : 06.06.2018

## नोटः

### व्याख्यात्मक कथन

प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के संबंध में नोटिस के मद सं. 2 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन निम्नवत् संलग्न है:

#### (i) प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

तथापि, ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सिंडिकेटबैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो, उसे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त न किया जाए।

उक्त विनियमावली 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी के किसी लिखत का गारंटर उस बैठक में वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा जिस लिखत से वह संबद्ध हो।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 22.06.2018 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

#### (ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कॉर्पोरेट, जो कि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 22.06.2018 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले जमा नहीं कर देता/कर देती।

#### (iii) मतदान अधिकार

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के उपबंधों यथा संशोधित 2013 के अनुसार, केन्द्र सरकार से भिन्न समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता/रखती है तो वह मतदान अधिकार का

## NOTES

### EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of item No. 2 of the Notice regarding raising of Paid up Capital is annexed below.

#### i. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, 22.06.2018.

#### ii. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, 22.06.2018.

#### iii. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, amended in 2013, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation

प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि उक्त अधिनियम, योजना और विनियमावली में किए गए किसी संशोधन की वजह से इस सूचना में दी गयी वर्तमान प्रक्रिया के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो उक्त संशोधन अभिभावी होगा।

उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, विनियमावली 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम गुरुवार को यानी 21.06.2018 (निर्दिष्ट तारीख) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है वह कार्यसूची मद पर वोट देने के लिए पात्र है।

उक्त विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उस से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो उस व्यक्ति को एकल शेयरधारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में सबसे पहले उल्लेख किया गया हो और वोटिंग के मामले में उसे एकल धारक के रूप में माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्त नाम में हैं तो केवल वही व्यक्ति जिसका नाम पहले है वह बैठक में भाग लेने, नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र है।

(iv) **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची पर मुद्रित विवरण की जाँच करें तथा खाली जगह, यदि कुछ है तो, भरें और उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

(v) **वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां अपने साथ लाएँ जिसकी प्रति पंजीकृत पते पर बैंक द्वारा डाक से भेजी दी गयी है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) पर भी प्रदर्शित है।

(vi) **अदावी लाभांश, यदि कुछ हो**

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है, उनसे अनुरोध है कि पुनर्वैधीकरण/लाभांश वारंटों की अनुलिपि जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who is registered as a shareholder on Thursday, i.e. 21.06.2018 (Cut Off Date) is entitled to vote on the agenda item.

As per Regulation 10 of the SyndicateBank (Shares & Meeting) Regulation 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

iv. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the poll to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance slip and fill in the blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be.

v. **COPIES OF ANNUAL REPORT**

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence, the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses. Additionally, the Annual Report has been hosted on Bank’s website [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in).

vi. **UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:**

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received dividend of previous periods i.e. for the year from 2010-2011 to 2014-2015, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation/issue of duplicate dividend warrants.

निवेशकों के नाम तथा लाभांश के वर्ष सहित अप्रदत्त लाभांशों के विवरण भी शेयरधारकों के लिए बैंक की वेबसाइट पर शेयरहोल्डर्स इन्फोर्मेशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है ताकि शेयरधारक अपने दावे को शेयर अंतरण एजेंट/या बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में स्थित निवेशक संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकें। आगे शेयरधारक सहायता के लिए [syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in) के माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार जो लाभांश की राशि सात वर्षों की अवधि से अदावी अथवा अदत्त है उन राशियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाएगा। बैंक वर्ष 2010-11 के लिए अदावी अथवा अदत्त लाभांश राशि को उपरोक्त निधि में दिनांक 07 अगस्त 2018 तक अंतरित करने की प्रक्रिया में है।

(vii) **लेखा विषयक सूचना**

शेयरधारक, यदि खाते के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को लिखें और उनके द्वारा माँगी गई जानकारी बैंक को कम से कम वार्षिक आम बैठक से एक सप्ताह पहले मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधक वर्ग सूचना तैयार करके रख सके। वार्षिक आम बैठक के समय उसके जवाब दिए जायेंगे ।

(viii) **बही बंदी**

वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शेयरधारकों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण पंजी शुक्रवार, 22.06.2018 से गुरुवार, 28.06.2018 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी ।

(ix) **लाभांश वारंटों में बैंक खाते का विवरण/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा (एन ई एफ टी) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की सुविधा (एन ई सी एस):**

बैंक लाभांश भुगतान के लिए भविष्य में, एन एस डी एल/ सी डी एस एल में पंजीकृत बैंक खाता विवरण तथा संबंधित डिपोजिटरी से आर टी ए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का प्रयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने डिपोजिटरी सहभागी के यहाँ पंजीकृत बैंक विवरण को अद्यतन करवाएँ। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों से प्राप्त

Details of unpaid dividends containing names of the investor and Year of Dividend have also been placed on the website of the Bank under shareholders information to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent/or with Investors Relation Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru. Further, the shareholders can contact the Bank at [syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in) for assistance.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed/Unpaid Dividend amount for the year 2010-11 to the said fund on 07th August, 2018.

vii. **INFORMATION ON THE ACCOUNTS**

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

viii. **BOOK CLOSURE**

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Friday, 22.06.2018 to Thursday, 28.06.2018 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.

ix. **DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT) / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE FACILITY (NECS):**

The Bank for payment of dividend, in future will use the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic

किसी भी प्रकार के बैंक विवरण संबंधी परिवर्तनों को बैंक या उनके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट सीधे नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तनों को करने के लिए सदस्य के सिर्फ डिपोजिटरी सहभागी को ही सलाह दी जाए।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार करते समय अपनी फोलियो संख्या (जिनके पास शेयर कागजी रूप में हो) तथा डीपीआईटी/क्लाइंट आईडी संख्या (जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट रूप में हो) दें।

(x) **अंतरण**

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए। सेबी ने शेयरों के अंतरण के प्रस्तुतीकरण के समय अंतरिती द्वारा पैन कार्ड के ब्यौरे (पैन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

(xi) **पते में परिवर्तन**

क) **कागज़ी फॉर्म में शेयर रखना**

कागज़ी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अध्यादेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड

यूनिट: सिंडिकेटबैंक

कार्वी सिलेनियम टावर

प्लॉट सं. 32-32

गचीबौली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

हैदराबाद 500 032

दूरभाष सं.: 040 67162222 या 040 67161516 (सीधा)

फैक्स सं. 040 23001153

टॉल फ्री नं. 1800-345-4001

पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध निर्धारित फॉर्म में पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति और पते का सबूत जैसे, दूरभाष बिल/ बिजली बिल, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ जिसमें पता हो इत्यादि की अनुप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाए। पते में परिवर्तन का फॉर्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ख) **इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना**

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में शेयर रखने वाले हिताधिकारी स्वामी के मामले में बैंक केवल उनके

form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id/Client ID number (for those holding shares in electronic demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

x. **TRANSFERS**

Share Certificates along with share transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent for effecting transfer. SEBI has made submission of PAN Card details (attested copies of PAN Card) mandatory by the Transferor(s) and Transferee(s) at the time of submission for transfer of shares.

xi. **CHANGE OF ADDRESS**

a) **HOLDING OF SHARES IN PHYSICAL FORMS**

Shareholders' holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.

Unit: SyndicateBank

Karvy Selenium Tower B,

Plot No. 31 -32,

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad 500 032

Phone No. 040 67162222 or 040 67161516 (D)

Fax No. 040 23001153

Toll Free No. 1800-345-4001

Request for change of address should be submitted in the prescribed format alongwith self attested copies of PAN Card and address proof, such as attested copies of Telephone Bill/Electricity bill as on a recent date, Passport, Voter ID Card, Ration Card, Driving License, Aadhar Card, 1<sup>st</sup> page of Bank Passbook containing address etc. Change of address format is enclosed to the Annual Report.

b) **HOLDING OF SHARES IN ELECTRONIC FORM**

In case of Beneficial owners holding shares in Electronic Form i.e. through a Demat account,



डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास उपलब्ध ब्यौरे जैसे, पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना में लेगा।

इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को विधिवत् अपलोड करवाएं ताकि वे तत्संबंधी संसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि को ठीक समय पर प्राप्त कर सकें।

(xii) बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डीमैट) अनिवार्य शेयर व्यापार

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून, 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्गमकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है।

बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोज़िटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को भेजे जाएं।

(xiii) बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली डी.पी. सेवाएं

हमारा बैंक निम्नलिखित डी.पी. सेवाएँ प्रदान करता है:

1. बेकागज़ीकरण
2. पुनः कागज़ीकरण
3. प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना
4. सुपुर्दगी द्वारा व्यापार का निपटान-ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट और इंटर डिपोज़िटरी
5. प्रतिभूतियों की गिरवी/गिरवी मुक्त करना
6. डीमैट खातों को जब्त करना/मुक्त करना डी.पी. सेवाएं युक्त शाखाओं के ब्यौरे हमारे बैंक की वेबसाइट [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) पर उपलब्ध हैं।

(xiv) फोलियो का समेकन

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयर धारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयरधारित राशि को एक ही शेयरधारित राशि के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

the Bank will take into consideration only the details like address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number etc., available with their Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE, THEREFORE, REQUESTED TO ENSURE THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS, ETC., ARE DULY UPLOADED WITH THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS SO THAT THEY MAY RECEIVE THE COMMUNICATION, ANNUAL REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

xii. **COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM:**

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

xiii. **DP SERVICES OFFERED BY THE BANK**

Our Bank provides following DP Services:

1. Dematerialization.
2. Rematerialisation.
3. Holding of securities in electronic form.
4. Settlement of trades by delivery - On market, off market and Inter-depository.
5. Pledge/Unpledge of securities.
6. Freezing/unfreezing of Demat Accounts.

Details of branches enabled for DP Services are available in our Bank's Website [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in)

xiv. **CONSOLIDATION OF FOLIOS**

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

(xv) **निवेशक संपर्क केन्द्र**

शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर में निवेशक संपर्क विभाग खोला है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव

निवेशक संपर्क केन्द्र

सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय

2 क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलूर - 560 009 (कर्नाटक)

दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030

ईमेल: [inrc@syndicatebank.co.in](mailto:inrc@syndicatebank.co.in) (सामान्य)

निवेशक की शिकायत: [syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in)

(xvi) **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान**

कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के साथ पढ़े गए सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) से मतदान करने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।

बैंक के शेयरधारक, बैठक की सूचना में निहित रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय के मद्दों का कारोबार कर सकते हैं।

बैंक ने कंपनी सचिव मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी को कंपनी द्वारा एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न होने का पर्यवेक्षण करेंगे।

(xvii) **अंतिम तिथि**

बैंक ने ई-वोटिंग में भाग लेने के लिए शेयरधारक के वोटिंग अधिकारों को निर्धारित करने के लिए गुरुवार, 21 जून 2018 को अंतिम तिथि के रूप में तय किया है।

(xviii) **ई-मतदान के लिए अनुदेश**

1. ई-मतदान के लिए निर्मांकित यू आर एल का प्रयोग करें:  
कार्वा वेबसाइट से: <http://evoting.karvy.com>
2. निर्धारित दिनांक को भौतिक रूप में या डिमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के शेयरधारक, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं।
3. लॉगिन क्रेडेन्शियल्स की प्रविष्टि करें [अर्थात् वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित यूजर आई डी और पासवर्ड]। आपकी फोलियो सं/डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।

xv. **INVESTOR RELATIONS CENTRE**

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Syndicate Bank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bengaluru. Shareholders may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance-  
The Company Secretary  
Investor Relations Centre  
SyndicateBank - Corporate Office  
2nd Cross Gandhinagar  
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)  
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030  
E-mail: [inrc@syndicatebank.co.in](mailto:inrc@syndicatebank.co.in) (General)  
Investor Grievances: [syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in)

xvi. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Annual General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHA SUBRAMANIAN and Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

xvii. **CUT-OFF DATE**

The Bank has fixed Thursday, the 21<sup>st</sup> June 2018 as the Cut-off date for determining voting rights of shareholders entitled to participating in the e-voting process.

xviii. **INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING**

1. To use the following URL for e-voting: From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials [i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the AGM]. Your Folio No/DP ID & Client ID will be your user ID.

4. ब्यौरों को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें ।
5. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनु में जाकर अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड को परिवर्तित करना पड़ेगा । नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z), एक लोअर केस (e-z), एक संख्या (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर होंगे । सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यौरों को अद्यतित करने का सुझाव देगा । यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं । अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें ।
6. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा ।
7. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको ईवेंट अर्थात् सिंडिकेट बैंक का चयन करने का सुझाव देगा ।
8. जिनके पास निर्दिष्ट दिनांक अर्थात् 21.06.2018 को शेयर हैं, वे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध अपना मतदान कर सकते हैं।
9. पुष्टि करने के लिए 'ओ के' पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक करें । एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी । शेयरधारक मतदान की अवधि के दौरान मतदान में मतदान संपन्न होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं ।
10. अनेक फोलियो/डीमेट खाते को रखनेवाले शेयरधारक हर फोलियो/डीमेट खाते के लिए मतदान की प्रक्रिया का चयन अलग-अलग करें ।
11. दि.25.06.2018 के प्रातः 9 बजे से दि.27.06.2018 के सायं 5 बजे तक मतदान के लिए पोर्टल खुला रहेगा ।
12. किसी भी प्रकार की अन्य पूछताछ के लिए <http://evoting.karvy.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफ ए क्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या दूरभाष सं.1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें ।
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Syndicate Bank.
8. Those holding shares as on the cut-off date i.e. 21.06.2018, can cast their vote in favour of or against the resolution.
9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.
10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
11. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 25.06.2018 to 5 p.m. on 27.06.2018.
12. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. at Tel No. 1800 345 4001 (toll free).

#### असाधारण आम बैठक के स्थान पर वोटिंग

रिमोट ई-वोटिंग के अलावा, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उनके लिए भी मतदान होगा। इस संबंध में घोषणा करने के तुरंत पश्चात मतदान आरंभ किया जाएगा और वोटों की संख्या, उनके द्वारा कट ऑफ तारीख यानि 21.06.2018 तक धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी ।

#### VOTING AT THE VENUE OF AGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e. 21.06.2018.



## नोटिस के मद सं. 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक कथन

निरंतर बदलते हुए कारोबारी परिदृश्य में बढ़ते हुए कारोबारी स्तर के प्रबंधन के साथ-साथ बासेल III मानदंडों का अनुपालन करने हेतु बैंक को अतिरिक्त पूँजी की तत्काल आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बासेल- III पूँजी में दिशानिर्देशों के अनुसार, सी आर ए आर को कम से कम 9 प्रतिशत बरकरार रखा जाना है। वर्ष 2016 से आगे बैंकों द्वारा पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित इस अनुपात को उत्तरोत्तर 11.50 बढ़ाया जाना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक द्वारा 4.50% लिवरेज अनुपात पर बरकरार रखा जाना है। बृहद एक्सपोजर ढांचा जो दिनांक 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा एवं वर्तमान तथा आगामी वर्षों के लिए अनुमानित विभिन्न प्रकार की आस्तियों एवं कारोबार संवृद्धि से संबंधित जोखिम भार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए उच्चतर पूँजी खासकर टियर- I पूँजी की आवश्यकता है।

कई उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों से संबंधित पत्रांक डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 42/21.01.002/2007-08 दिनांक 29.10.2007 में बैंकों को विभिन्न प्रकार के टियर-I और टियर- II साधनों के द्वारा अपनी पूँजी को बढ़ाने के लिए पूँजी बाजार में प्रवेश हेतु अनुमति दी गई है, इसे ध्यान में रखकर, बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), अधिकार निर्गम, अनुगामी सार्वजनिक निर्गम, अथवा अधिमान्नी आबंटन अथवा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम से एक या एक से अधिक भागों में ईक्विटी शेयर जारी करके ₹5000 करोड़ (पाँच हजार करोड़ मात्र) तक पूँजी बढ़ाने के लिए पूँजी बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है और उसके नियम एवं शर्तें वही होंगी जो बैंक के सर्वोत्तम हित में हों। बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार कूपन दर पर बेसल III से युक्त टियर-I बांडों को ₹1000 करोड़ तक तथा टियर-II बांडों को ₹1000 करोड़ तक बढ़ाने की योजना भी बैंक ने बनाई है। ईक्विटी शेयर को जारी करने से संबंधित सूचना में विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करने एवं प्रकटीकरण जरूरतें) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”) के अध्याय VIII के अंतर्गत ₹5000 करोड़ (पाँच हजार करोड़ मात्र) तक के अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददार के लिए दिया गया है।

चूँकि, बैंक के ईक्विटी शेयर को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करने एवं प्रकटीकरण जरूरतें) विनियम, 2015 के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है, अतः यह आवश्यक है कि किसी भी आगे की प्रतिभूति के ईश्यू को शेयरधारकों से अनुमोदित करा लिया जाए यदि आनुपातिक आधार पर उन्हें प्रस्तावित न किया गया हो।

## EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario and to comply with the Basel-III norms, the bank needs additional capital immediately.

As per RBI prescribed Basel III Capital Guidelines, minimum CRAR is to be maintained at 9%. Banks have to progressively increase this ratio to 11.50% including Capital Conservation Buffer (CCB) from the year 2016 onwards. Bank also needs to maintain Leverage Ratio at 4.50%, as per RBI guidelines. Higher Capital, particularly Tier I Capital is needed in view of the RBI guidelines on risk weights on various categories of assets and business growth projected for the current year and in the coming years & Large Exposure Framework which is applicable from 01st April 2019.

After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No.DBOB. No.BP.BC.42/21.01.002/2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-I and Tier-II instruments, the Bank has planned to access capital market for raising capital upto the extent of ₹5000 Crore (Rupees Five Thousand Crore only), including premium, by issuing equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), Follow on Public Issue, or preferential allotment or any other mode approved by GOI/RBI and other financial Institutions in one or more tranches and subject to terms and conditions as may be felt to be in the best interest of the Bank. Bank has also planned to raise Basel III Compliant Additional Tier I Bonds upto ₹1000.00 Crore and Tier II bonds upto ₹1000.00 Crore at coupon rates as per prevailing market conditions.

The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares as Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding ₹5000 Crore (Rupees Five Thousand Crore only).

As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.


यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) के माध्यम से जारी ईक्विटी शेयर सांविधिक, विनियामक या इस संबंध में लागू अन्य निर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।

ईक्विटी शेयर को जारी करने के विस्तृत नियम एवं शर्तें वर्तमान बाजार की स्थिति पर विचार करते हुए व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों जो बैंक द्वारा विचारणीय हों, के साथ विचार-विमर्श करके बोर्ड के विवेकानुसार से जो सही हो, 2015 से ठीक करना है (पैरा पूरा) ऐसा करने हेतु बोर्ड को अधिकार देने के लिए विशेष संकल्प लिया जाए।

नोटिस में वर्णित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन को निदेशक मंडल संस्तुत करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक की विशेष संकल्प में संबद्धता या रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  
कृते सिंडिकेट बैंक



(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 06.06.2018


It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), etc would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.

The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution mentioned in the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution

By order of the Board of Directors  
For SYNDICATE BANK



(Melwyn Rego)

Managing Director &  
Chief Executive Officer

Place : Bengaluru

Date : 06.06.2018



प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104

## उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 28.06.2018

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

## प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। प्रवेश-पत्र अंश को शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जिसे बैठक के अंत तक रखा जाना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वारा पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



Head Office : Manipal – 576 104

## ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 28th June, 2018

Time : 10.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

**I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank.**

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

## ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

Shareholders/Proxy or Authorized Representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/Representatives, who should retain till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum Entry Pass- will be issued at the entrance to the meeting.



प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104

## प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_  
सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को, अथवा इनके न होने पर,  
श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को  
सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की \_\_\_\_\_ को सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में दि. 28.06.2018 को प्रातः  
10.00 बजे होनेवाली वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी  
के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2018 के \_\_\_\_\_ माह के \_\_\_\_\_ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया  
₹ 1/-  
का राजस्व  
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब  
ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।  
बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।  
सी) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। किन्तु यदि शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3. प्रॉक्सी के साथ  
ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या  
बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 22.06.2018 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेटबैंक नैगम सूचना केन्द्र, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल - 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक उस पर विधिवत् राजस्व टिकट लगा न हो।
5. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
6. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो, एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएँ।
7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस लिखत से संबंधित वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
8. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



Head Office : Manipal – 576 104

## PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We \_\_\_\_\_ resident(s) of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ being a shareholder/shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ **OR** failing him/her, Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ as my/our proxy to vote for me/ us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 28<sup>th</sup> June, 2018 at 10.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2018.

Please  
Affix  
₹ 1/-  
Revenue  
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

**Name :**

**Address :**

### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
  - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
- The proxy together with
  - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Syndicate Bank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 22.06.2018.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.



